



राजस्थान सरकार  
निदेशालय खान एवं भू-विज्ञान विभाग  
खनिज भवन, शास्त्री सर्कल, उदयपुर  
e-mail : dmgomms.uda.mg@rajasthan.gov.in


क्रमांक: DMG/DMGOMS/Challan Module/2021/ 42

दिनांक: 21.01.2022

आदेश

विभाग द्वारा समस्त खननपट्टाधारीयों एवं आरसीसी/ईआरसीसी ठेकेदारों को विभागीय ऑनलाईन पोर्टल पर लॉगिन के माध्यम से राशि (यथा-Contractor Monthly Installment, Dead rent, Royalty, Interest, Penalty) जमा कराने का प्रावधान उपलब्ध कराया गया है। फिर भी अधिकतर खननपट्टाधारीयों एवं आरसीसी/ईआरसीसी ठेकेदारों द्वारा उपरोक्त राशि विभागीय ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा नहीं कराई-ग्रास प्लेटफॉर्म के माध्यम से जमा करायी जाकर चालान प्रति कार्यालयों में जमा करायी जाती है।

अतः समस्त धारित खननपट्टाधारीयों एवं आरसीसी/ईआरसीसी ठेकेदारों को यह निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 01.02.2022 से विभिन्न शुल्क (यथा- Contractor Monthly Installment, Dead rent, Royalty, Interest, Penalty) केवल विभागीय ऑनलाईन सिस्टम पर लॉगिन के माध्यम से ही स्वीकार किये जावेंगे।


  
(डॉ. के.बी. पण्ड्या)IAS  
निदेशक, खान  
राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक: DMG/DMGOMS/Challan Module/2021/ 43-141

दिनांक: 21.01.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक, के. कार्यालय, उदयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, केन्द्रीय कार्यालय उदयपुर को सूचनार्थ।
3. अतिरिक्त निदेशक खान (मु0)/सर्तकता (मु0)/भू-विज्ञान (मु0)।
4. तकनीकी सहायक (निदेशक), के.कार्या, उदयपुर।
5. अधीक्षण खनि अभियंता (मु0)-I/II/III।
6. प्रतिलिपि निम्न को भेजकर लेख है कि आपके कार्यालय में विभागीय स्टेक हॉल्डर्स द्वारा जमा कराये गये समस्त मेनुअल ई-ग्रास चालानों को दिनांक 31.01.2022 तक विभागीय ऑनलाईन पोर्टल के मेनुअल चालान एन्ट्री प्रोविजन में इद्राज/अपलोड किया जाना एवं उपरोक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करावें :-
  - 1) अतिरिक्त निदेशक (खान) जोन- जयपुर/उदयपुर/जोधपुर/कोटा।
  - 2) समस्त अधीक्षण खनि अभियंता (वृत्त)/सर्तकता।
  - 3) समस्त खनि अभियंता/खनि अभियंता(सर्तकता)/सहायक खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता (सर्तकता)
7. विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

  
(पी.आर. आमेटा)  
अति. निदेशक खान (पर्या. एवं विकास)  
एवं नोडल अधिकारी DMGOMS